

(ब) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार 1969 में गांधी शताव्दी समारोहों के अवसर पर जेलों से ऐसे बंदियों की रिहाई की योजना पर विचार कर रही है?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्युच्चरण शुक्ल) (क) और (ख). 2 अक्टूबर, 1968 को उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश सरकारों द्वारा रिहा किये गये बंदियों की संख्या इस प्रकार हैं:

राज्य का नाम	रिहा किए गए बंदियों की संख्या
उड़ीसा	56
राजस्थान	6
उत्तर प्रदेश	70

मद्रास सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी। शेष राज्यों ने इस तारीख पर कोई बंदी रिहा नहीं किया है।

(ग) से (ड.): 1968 में विहार में गांधी जयंती के अवसर पर कोई बंदी रिहा नहीं किया गया। मद्रास, उड़ीसा और राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 1969 में गांधी जन्म शताव्दी के अवसर पर लम्बी सजा पाये हुए बंदियों को सजा से छूट देने का प्रस्ताव किया है। जम्मू और काश्मीर के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विहार में विश्वविद्यालयों और कालेजों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता

5286. श्री रामावतार शर्मा क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 17 सितम्बर, 1967 को

एक पत्र द्वारा विहार के महालेखापाल को निदेश दिया था कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के गैर अध्यापन कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 1967 से 10 रुपये प्रतिमास की दर पर मंहगाई भत्ता दिया जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने इस मद के अन्तर्गत 1967-68 में अय के लिये राज्य विश्वविद्यालय आयोग के लिये 4,20,000 रुपए की स्वीकृति दी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कालेजों के गैर-सरकारी अध्यापक कर्मचारियों (प्रेरणी 3 और 4) को अभी तक उक्त मंहगाई भत्ता नहीं मिला है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने पर पुनः विचार करेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामावतार शर्मा) (क). जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (ड.): सदस्य कालेजों और विश्वविद्यालय के विभागों के गैर-अध्यापक अमले को मंहगाई भत्ते का भुगतान कर दिया गया है। कालेजों से सम्बद्ध अन्तिम आदेश हाल ही में दिये गये हैं और गैर-अध्यापक अमले को मंहगाई भत्ते का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायगा।

केन्द्र तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में मुख्य बंदियों का सम्बन्ध

5287. श्री रामावतार शर्मा : क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर विस्तार-पूदक विचार करने हेतु

मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह सम्मेलन बुलाने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण : शुक्ल) (क) कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान-समर्थक तत्व

5288. श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ जिले में ममूरी, नहाल तथा घरसरी ग्रामों में आतंक तथा अग्नानि फैलाने पाने पाकिस्तानी तत्वों के बारे में उत्तर प्रदेश के पुलिस महा-निरीक्षक को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(क) क्या यह भी सच है कि उक्त ग्रामों में गायों का खुले आम वध किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) . राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठिये

5289. श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1967 से आज तक कितने पाकिस्तानी घुसपैठिये आसाम में आकर बस गये हैं ;

(ख) उनको बाहर निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उनमें से कितने घुसपैठियों को अब तक निकाल दिया गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) अप्रैल, 1967 से 31 अक्टूबर, 1968 तक की अवधि में असम में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ख) सीमा सुरक्षा-दल के गठन को मजबूत बना दिया गया है और सीमा पर गश्त को तेज करने के लिये सुविधा हेतु सीमा स्थित चौकियों के स्थान पुनः नियत किये गये हैं और उनकी गति बढ़ा दी गई है । इसके अतिरिक्त, नये तथा पुराने घुसपैठियों का पता लगाने के लिए निरंतर सतर्कता बनाय रखने को इस समस्या से प्रभावित राज्य की सीमाओं पर तथा भीतरी भाग में, दोनों स्थानों पर, पुलिस निरीक्षण चौकियों का जाल बिछा है ।

(ग) उल्लिखित अवधि के दौरान 2,281 नये घुसपैठियों का पता लगाया गया और उनमें से सब को या तो सीमा पर ही पीछे घकेल दिया गया या मुकदमा/सजा, इत्यादि के बाद पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया ।

दिल्ली में यमुना पार की बस्तियों के लिये रिंग रोड

5290. श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री यशपाल सिंह :

तथा परिवहन तथा नोवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :